न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 106/2019 (2019/00220)

अपीलान्ट्स
जयराम पुत्र रूघनाथराम, जाति– मेघवाल, निवासी– विजय नगर, खुडियाला, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रकरण संख्या 58/2019 बअनवान राजस्थान राज्य बनाम जयराम में दिनांक 04.12.2019 को पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बूब (अपीलान्ट)।

–: आदेश :– दिनांक :– 25.07.2022

अपीलान्ट अभिभाषक ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आदेश तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रकरण संख्या 58/2019 बअनवान राजस्थान राज्य बनाम जयराम में दिनांक 04.12.2019 को पारित किया गया के, विरूद्व पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम विजय नगर, पटवार क्षेत्र खुडियाला के खसरा नं0 920 की 4 बीघा भूमि पर अपीलान्ट एवं उसके भाई ढाणी बनाकर सवंत् 1961 से निवास कर रहे है तथा इनका कब्जा है। खसरा परिवर्तनशील में अपीलान्ट व उसके भाईयों का नाम दर्ज होता रहा है। इस प्रकार राजस्व अभिलेखों में अपीलान्ट एवं उसके भाईयों का पिछले 15 वर्षो से अधिक समय से निरन्तर तौर पर कब्जा एवं काश्त दर्ज हो रहा है।

पटवारी हल्का खुडियाला द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व तहसील कार्यालय बालेसर में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर तहसीलदार बालेसर दिनांक 06.03.2018 को प्रकरण दर्ज करके अपीलान्ट को दिनांक 12.03.2018 की पेशी मुकर्रर की गई। तारीख पेशी दिनांक 12.03.2018 को अपीलान्ट के विरूद्व रेस्पोडेन्ट तहसीलदार बालेसर ने आदेश पारित करते हुए अपीलान्ट को विवादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखली एवं अर्थदण्ड का आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:22:10 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट ने राजस्व अपील संख्या 69/2019 बअनवान जयराम बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बालेसर पेश की। जिसमें दिनांक 13.11.2019 को न्यायायलय द्वारा आदेश पारित किया गया कि '' अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है एवं तहसीलदार बालेसर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2018 को एतद् निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः नये सिरे से आदेश पारित करे। '' उपरोक्त आदेश के पश्चात भी न्यायालय तहसीलदार बालेसर द्वारा दिनांक 04.12.2019 को पुनः उसी आशय का आदेश पारित किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने अपील पेश की है।

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय में अपील पेश करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया तथा रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर अपीलान्ट अधिवक्ता की बहस दिनांक 12.07.2019 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में दर्ज तथ्यो को दोहराते हुए बतलाया कि ग्राम विजय नगर, पटवार क्षेत्र खुडियाला के खसरा नं0 920 की 4 बीघा भूमि पर अपीलान्ट एवं उसके भाई ढाणी बनाकर सवंत् 1961 से कब्जा चला आ रहा है। खसरा परिवर्तनशील में अपीलान्ट व उसके भाईयों का नाम दर्ज होता रहा है। इस प्रकार राजस्व अभिलेखों में अपीलान्ट एवं उसके भाईयों का पिछले 15 वर्षो से अधिक समय से निरन्तर तौर पर कब्जा एवं काश्त दर्ज हो रहा है। पूर्व में न्यायालय द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय निर्देशित किया गया कि सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित करे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व की भाँति एक प्रफोर्मा में रिक्त स्थान की पूर्ति कर औपचारिकता करते हुए निर्णय पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई तथा दस्तावेज पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्ट अनुसुचित जाति का गरीब व्यक्ति है तथा अपीलान्ट के पास उपरोक्त भू–भाग के अलावा कोई अन्य भू–भाग नहीं है। अपीलान्ट के पास लगभग 250 भेड़ बकरिया है। अपीलान्ट इस भू–भाग का उपयोग भेड़ बकरियों को रखने के [illegible] रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को उसके भू–भाग पर से [illegible] कानूनी औचित्य नहीं रहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:22:10 IST
Reason: SelfAttested

अपीलाधीन आदेश पूर्ण रूप से गलत एवं गैर कानूनी है एवं किसी भी रूप में कायम रखने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.12.2019 को निरस्त फरमावें एवं विवादग्रस्त भू–भाग पर अपीलान्ट का पुराना कब्जा होने से नियमितिकरण हेतु सिफारिश फरमावे।

हमनें पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलान्ट के विद्धान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि पूर्व में न्यायालय द्वारा तहसीलदार बालेसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2018 को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की विस्तृत विवेचना करते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित करे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्देशों की पालना नहीं की गई। पूर्व की भाँति मात्र औपचारिकता कर पुनः अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.12.2019 पारित किया गया जो न्यायसंगत नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर पुनः प्रेषित करना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाकर तहसीलदार बालेसर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.12.2019 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करके राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा, 1956 की धारा 91 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करे। अपीलान्ट को निर्देश है कि वह आदेश दिनांक के 15 दिवस के भीतर न्यायालय तहसीलदार बालेसर में उपस्थित देवें। निर्णय की प्रति मय अभिलेख तहसीलदार बालेसर को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:22:10 IST
Reason: SelfAttested

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।